

बनाम राजेश कुमार पट्टराम
212 RT Act नं 2/32/2018 सन्

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

3.4.18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 14.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 761/819 रकबा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम गोलेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर को रहन, बैय नही करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 14.06.2018 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

11.6.18

पत्रा संख्या उपखण्ड 2/32/18 संख्या
कोर्टी आर प्रॉक्सीली में घोषणा
प्रतिवादी पट्टराम। मुख्यपक्ष रंवारिज
हो चुका है आर पत्रे रजि. 212 सं
रंवारिज प्रॉक्सीली पत्रावली
सिपथी शुभर डीप्ले टारिबल उपखण्ड

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पट्टराम
अधिकारी